



भारतीय रिज़र्व बैंक  
RESERVE BANK OF INDIA  
[www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)

अनुबंध VII

प्रोफॉर्मा – II

बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को यथा-प्रभावी/ तिमाही आधार पर प्रस्तुत किया जाने वाला वर्तमान शाखा/ कार्यालय/ एनएआईओ की स्थिति में परिवर्तन/ विलय/ रूपांतरण/ बंदी आदि का विवरण

(कृपया प्रोफॉर्मा भरने से पहले सभी अनुदेश और स्पष्टीकरण पढ़ लें। प्रोफॉर्मा- II की विभिन्न मदों के सामने कोष्ठक में दिए गए स्पष्टीकरण नोट, प्रोफॉर्मा-I की मद संख्या से संबंधित हैं, जिन्हें संलग्न “प्रोफॉर्मा-I की मदों का स्पष्टीकरण” में दर्शाया गया है।)

बैंक/ अन्य वित्तीय संस्था/ सहकारी संस्था का नाम :-

क. शाखा/ कार्यालय/ एनएआईओ की स्थिति/ ए.डी. श्रेणी/ कारोबार का प्रकार/ डाक के पते में परिवर्तन

1. शाखा/कार्यालय/एनएआईओ का नाम (मद सं. 2(क) में दिया गया स्पष्टीकरण देखें)

(a) पुराना नाम : \_\_\_\_\_

(b) वर्तमान नाम : \_\_\_\_\_

(c) नाम परिवर्तन की तारीख: \_\_\_\_\_

दिन माह वर्ष

2. एकसमान कूट (वर्तमान):

क. भाग-I (7/9 अंक): \_\_\_\_\_

ख. भाग-II (7 अंक) \_\_\_\_\_

3. शाखा/ कार्यालय/ एनएआईओ की कारोबार स्थिति में परिवर्तन

(मद सं. 7(क) में स्पष्टीकरण देखें):

(a) पुरानी स्थिति का नाम: \_\_\_\_\_ कूट: □□

(b) वर्तमान स्थिति का नाम: \_\_\_\_\_ कूट: □□

(c) स्थिति में परिवर्तन की तारीख (यदि कोई हो): \_\_\_\_\_

दिन माह वर्ष

4. कारोबार के प्रकार में परिवर्तन:

(उचित बॉक्स में सही का निशान (✓) लगाएं)

क. पुराना नाम वर्तमान

(1) ( ) बैंकिंग कारोबार ( )

(2) ( ) व्यापार बैंकिंग कारोबार ( )

(3) ( ) विदेशी मुद्रा ( )



## भारतीय रिज़र्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

[www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)

- (4) ( ) स्वर्ण जमा ( )  
(5) ( ) बीमा ( )  
(6) ( ) प्रशासनिक/नियंत्रक कार्यालय ( )  
(7) ( ) प्रशिक्षण केंद्र ( )  
(8) ( ) अन्य (यदि कोई हो तो कृपया विनिर्दिष्ट करें) ( )

**ख.** कारोबार का प्रकार बदलने की तारीख (यदि कोई हो): / /

दिन माह वर्ष

5. **क.** शाखा/ कार्यालय/ एनएआईओ की तकनीकी सुविधा में परिवर्तन:

(उचित बॉक्स में सही का निशान (✓) लगाएं)

पुरानी तकनीकी सुविधा

वर्तमान

- (1) ( ) अभी कम्प्यूटरीकृत नहीं ( )  
(2) ( ) आंशिक रूप से कम्प्यूटरीकृत ( )  
(3) ( ) पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत ( )

**ख.** तकनीकी सुविधा में परिवर्तन की तारीख : / /

दिन माह वर्ष

6. **क.** शाखा/ कार्यालय/ एनएआईओ की संपर्क सुविधा:

(उचित बॉक्स में सही का निशान (✓) लगाएं)

पुरानी वर्तमान की संपर्क सुविधा

- (1) ( ) नेटवर्क नहीं ( )  
(2) ( ) इंफिनेट ( )  
(3) ( ) इंटरनेट ( )  
(4) ( ) इंट्रानेट ( )  
(5) ( ) कोर बैंकिंग सोल्यूशन ( )  
(6) ( ) अन्य ( )  
(यदि कोई हो तो कृपया विनिर्दिष्ट करें) \_\_\_\_\_

संपर्क सुविधा में परिवर्तन की तारीख : / /

दिन माह वर्ष

7. शाखा/कार्यालय की प्राधिकृत डीलर श्रेणी बताएं :

क) पुरानी श्रेणी : \_\_\_\_\_

ख) नई/ परिवर्तित श्रेणी : \_\_\_\_\_

आगे, (उचित बॉक्स में सही का निशान (✓) लगाएं):

ग्रेड बढ़ाया गया ( ) ग्रेड कम किया गया ( ) नया प्राधिकृत ( )

ग) ग्रेड बढ़ाने/ ग्रेड कम करने/ प्राधिकृत करने की तारीख: / /



**भारतीय रिज़र्व बैंक**  
**RESERVE BANK OF INDIA**  
[www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)

दिन माह वर्ष

घ) यदि सामान्य बैंकिंग कारोबार करने वाली किसी शाखा को विदेशी मुद्रा कारोबार करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है और वह एडी श्रेणी "सी" में आती है, तो उस लिंक शाखा/कार्यालय का एकसमान कूट संख्या दें, जिसके द्वारा इस शाखा के लेनदेन रिपोर्ट किए जाते हैं:

भाग -I (7 अंक):

भाग-II (7 अंक):

ङ) यदि किसी मौजूदा "सी" श्रेणी शाखा का लिंक कार्यालय बदला गया है, तो नए लिंक कार्यालय के भाग-I और भाग-II कूट दें:

भाग -I (7 अंक):

भाग-II (7 अंक):

च) यदि "ए/बी" श्रेणी की एडी शाखा का ग्रेड कम कर "सी" श्रेणी किया गया है, तो उस लिंक शाखा/कार्यालय का एकसमान कूट दें, जिसके द्वारा ग्रेड कम किए गए "सी" श्रेणी एडी शाखा के लेनदेन रिपोर्ट किए जाते हैं:

भाग -I (7 अंक):

भाग-II (7 अंक):

छ) यदि "ए/बी" श्रेणी की एडी शाखा, जो एक या अधिक "सी" श्रेणी एडी शाखा/ओं के लिए लिंक कार्यालय का काम कर रही हो, का ग्रेड कम कर "सी" श्रेणी एडी शाखा किया गया है, तो उक्त "सी" श्रेणी एडी शाखा/ओं के लिए लिंक कार्यालय की भूमिका निभाने वाले एडी शाखा/ओं के भाग I कूट दें:

"सी" श्रेणी शाखा का यूसीएन                      लिंक कार्यालय का यूसीएन

भाग -I:                       भाग -I:

भाग -I:                       भाग -I:

भाग -I:                       भाग -I:

(यदि "सी" श्रेणी शाखाओं की संख्या अधिक है, तो सूची संलग्न करें)

ज) यदि सिर्फ सामान्य बैंकिंग कारोबार करने वाली शाखा/ "सी" श्रेणी एडी शाखा को "ए"/ "बी" श्रेणी एडी शाखा का काम दिया जाता है या ग्रेड बढ़ाया जाता है, तो उन सभी "सी" श्रेणी शाखाओं का भाग-I कूट दिया जाए, जो इस ग्रेड बढ़ाई गई नई शाखा से लिंक किए जाएंगे:



भारतीय रिज़र्व बैंक  
RESERVE BANK OF INDIA  
[www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)

भाग- I (7 अंक):

भाग- I (7 अंक):

भाग- I (7 अंक):

(यदि "सी" श्रेणी शाखाओं की संख्या अधिक है, तो सूची संलग्न करें)

8. करेंसी चेस्ट/ रिपोजिटरी/ सिक्का-डिपो/ सरकारी कारोबार आदि (खोलने/ शिफ्ट करने/ रूपान्तरण/ बंदी सहित) की स्थिति में परिवर्तन के विवरण। शिफ्ट करने/ रूपान्तरण/ बंदी के सभी मामलों में कृपया तारीख भी बताएं:

(क) (i) केंद्र सरकार के कारोबार:

(उचित बॉक्स में सही का निशान(✓) लगाएं)

सरकारी कारोबार का पुराना प्रकार

नया

- |         |                                      |       |
|---------|--------------------------------------|-------|
| (1) ( ) | कोई सरकारी कारोबार नहीं              | ( )   |
| (2) ( ) | प्रत्यक्ष कर                         | ( )   |
| (3) ( ) | विभागीकृत मंत्रालयों के खाते (डीएमए) | ( )   |
| (4) ( ) | पेंशन                                | ( )   |
| (5) ( ) | बॉन्ड-निर्गम                         | ( )   |
| (6) ( ) | अन्य (यदि कोई हो तो स्पष्ट करें):    | _____ |

(ii) परिवर्तन की तारीख:

//

दिन माह वर्ष

(ख) (i) ट्रेजरी/ उप-ट्रेजरी कारोबार (राज्य सरकार का कारोबार):

(उचित बॉक्स में सही का निशान(✓) लगाएं)

ट्रेजरी/ उप ट्रेजरी कारोबार का पुराना प्रकार

नया

- |         |                                   |       |
|---------|-----------------------------------|-------|
| (1) ( ) | कोई सरकारी कारोबार नहीं           | ( )   |
| (2) ( ) | राजकोषीय कारोबार                  | ( )   |
| (3) ( ) | उप राजकोषीय कारोबार               | ( )   |
| (4) ( ) | पेंशन                             | ( )   |
| (5) ( ) | बॉन्ड-निर्गम                      | ( )   |
| (6) ( ) | अन्य (यदि कोई हो तो स्पष्ट करें): | _____ |



भारतीय रिज़र्व बैंक  
RESERVE BANK OF INDIA  
[www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)

(ii) परिवर्तन की तारीख: / /   
दिन माह वर्ष

(ग) राज्य करेंसी चेस्ट का प्रकार:

पुराना: ( ) वर्तमान: ( )  
परिवर्तन की तारीख: / /   
दिन माह वर्ष

(घ) यदि करेंसी चेस्ट के लिए नया प्राधिकृत किया गया है तो निम्नलिखित बताएं

(i) करेंसी चेस्ट का प्रकार (उचित बॉक्स में सही का निशान(✓) लगाएं):  
ए ( ) बी ( ) सी ( )

(ii) प्राधिकृत करने की तारीख: / /   
दिन माह वर्ष

(iii) करेंसी चेस्ट का कूट नंबर :   
(मुद्रा प्रबंध विभाग (डीसीएम) द्वारा आबंटित 8 अंकों का कूट दें)

(iv) उस क्षेत्र का प्रकार बताएं जिसमें करेंसी चेस्ट स्थित है।  
(“क्षेत्र का प्रकार” कूट बताएं: स्पष्टीकरण देखें)

कूट:  क्षेत्र का प्रकार: \_\_\_\_\_

(ङ) रिपोजिटरी: \_\_\_\_\_

(च) सिक्का डिपो: \_\_\_\_\_

9. डाक का पूरा पता:(मद संख्या 4.1 से 4.8 के स्पष्टीकरण देखें)

(i) पुराना

(a) नाम/इमारत का नगरपालिका संख्या (यदि कोई हो): \_\_\_\_\_

(b) सड़क का नाम (यदि कोई हो): \_\_\_\_\_

(c) (i) पोस्ट ऑफिस का नाम: \_\_\_\_\_

(ii) पिन कोड:

(d) केंद्र (राजस्व इकाई) के भीतर स्थान का नाम : \_\_\_\_\_

(e) केंद्र (राजस्व इकाई) का नाम: \_\_\_\_\_

(f) समुदाय विकास प्रखंड/ विकास प्रखंड/ तहसील/ तालुका/ अनुमंडल/ मंडल/ पुलिस



भारतीय रिज़र्व बैंक  
RESERVE BANK OF INDIA  
[www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)

थाने का नाम: \_\_\_\_\_

(g) टेलीफोन नं./ टेलेक्स नं. (एसटीडी कोड सहित): \_\_\_\_\_

(h) फैक्स नं.: \_\_\_\_\_

(i) ईमेल पता: \_\_\_\_\_

(ii) **वर्तमान**

**क.** नाम/इमारत का नगरपालिका संख्या (यदि कोई हो): \_\_\_\_\_

**ख.** सड़क का नाम (यदि कोई हो): \_\_\_\_\_

**ग.** (i) पोस्ट ऑफिस का नाम: \_\_\_\_\_

(ii) पिन कोड:

**घ.** केंद्र (राजस्व इकाई) के भीतर स्थान का नाम : \_\_\_\_\_

**ङ.** केंद्र (राजस्व इकाई) का नाम): \_\_\_\_\_

**च.** समुदाय विकास प्रखंड/ विकास प्रखंड/ तहसील/ तालुका/ अनुमंडल/ मंडल/ पुलिस  
थाने का नाम: \_\_\_\_\_

**छ.** टेलीफोन नं./ टेलेक्स नं. (एसटीडी कोड सहित): \_\_\_\_\_

**ज.** फैक्स नं.: \_\_\_\_\_

**झ.** ईमेल पता: \_\_\_\_\_

(iii) पता बदलने की तारीख:   /   /

दिन माह वर्ष

10. (i) यदि शाखा/ कार्यालय/ एनएआईओ का स्थान-परिवर्तन किसी अन्य केंद्र (राजस्व इकाई) में हुआ है तो वर्तमान केंद्र के विवरण दें:

(क, ख, ग और च के लिए क्रमशः मद सं. 2(क), 5(क), 5(ख) और 5(ङ) में दिए गए स्पष्टीकरण देखें)

a) शाखा/ कार्यालय/ एनएआईओ का नाम: \_\_\_\_\_

b) (राजस्व इकाई) (केंद्र का नाम): \_\_\_\_\_

c) समुदाय विकास प्रखंड/ विकास प्रखंड/ तहसील/ तालुका/ अनुमंडल/ मंडल/ पुलिस  
थाने का नाम: \_\_\_\_\_

d) जिले का नाम: \_\_\_\_\_

e) राज्य का नाम: \_\_\_\_\_



भारतीय रिज़र्व बैंक  
RESERVE BANK OF INDIA  
[www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)

- f) वर्तमान केंद्र की आबादी (नवीनतम जनगणना के अनुसार): \_\_\_\_\_
- (ii) केंद्र बदलने की तारीख: / /   
दिन माह वर्ष
11. यदि शाखा/ कार्यालय/ एनएआईओ का स्थान-परिवर्तन किसी अन्य केंद्र में हुआ है तो परिवर्तन का कारण बताएं:
- (a) लाइसेंस सं./ प्राधिकरण और अनुबंध क्रम सं. \_\_\_\_\_
- (b) लाइसेंस उचित रूप से सुधारा गया: / /   
दिन माह वर्ष
- रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय \_\_\_\_\_ द्वारा।
- (c) रिज़र्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय के अनुमोदन की संदर्भ संख्या और तारीख:  
संदर्भ संख्या: \_\_\_\_\_ तारीख: / /   
दिन माह वर्ष
12. किसी एनएआईओ की आधार शाखा/कार्यालय बंद होने की स्थिति में निम्नलिखित बताएं:
- (a) पुरानी आधार शाखा/ कार्यालय का भाग-I कूट:
- (b) वर्तमान आधार शाखा/ कार्यालय का भाग-I कूट:
13. कोई अन्य विवरण : \_\_\_\_\_

**(ख) शाखा/ कार्यालय/ एनएआईओ की बंदी/ विलय/ रूपान्तरण:**

1. बंदी ( ) विलय ( ) रूपान्तरण ( ) की सूचना  
(उचित बॉक्स में सही का निशान (✓) लगाएं)
2. शाखा/ कार्यालय/ एनएआईओ का नाम (मद संख्या 2(क) में स्पष्टीकरण देखें): \_\_\_\_\_
3. एकसमान कूट (मद सं. 1(ख) में स्पष्टीकरण देखें):  
भाग-I:  भाग - II:
4. (क) शाखा/ कार्यालय/ एनएआईओ का डाक का पूरा पता:  
(मद संख्या 4.1 से 4.8 के स्पष्टीकरण देखें)
- (i) नाम/इमारत का नगरपालिका संख्या (यदि कोई हो): \_\_\_\_\_



## भारतीय रिज़र्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

[www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)

- (ii) सड़क का नाम (यदि कोई हो): \_\_\_\_\_
- (iii) (क) पोस्ट ऑफिस का नाम : \_\_\_\_\_
- (ख) पिन कोड: \_\_\_\_\_ □□□□□□
- (iv) केंद्र (राजस्व इकाई) के भीतर स्थान का नाम: \_\_\_\_\_
- (v) समुदाय विकास प्रखंड/ विकास प्रखंड/ तहसील/ तालुका/ अनुमंडल/ मंडल/ पुलिस थाने का नाम \_\_\_\_\_
- (vi) टेलीफोन नं./ टैलेक्स नं. (एसटीडी कोड सहित): \_\_\_\_\_
- (vii) फैक्स नं.: \_\_\_\_\_
- (viii) ईमेल पता: \_\_\_\_\_
- (ख) केंद्र का नाम: \_\_\_\_\_
- (मद संख्या 5(क) में स्पष्टीकरण देखें)
- (ग) जिले का नाम: \_\_\_\_\_
- (घ) राज्य का नाम: \_\_\_\_\_
- (ङ) केंद्र की आबादी (नवीनतम जनगणना के अनुसार): \_\_\_\_\_
- (मद संख्या 5(ङ) में स्पष्टीकरण देखें)
5. बंदी/ विलय/ रूपान्तरण की तारीख: \_\_\_\_\_ □□/□□/□□□□
- दिन माह वर्ष
6. रिज़र्व बैंक की संदर्भ संख्या और अनुमोदन की तारीख:
- संदर्भ संख्या: \_\_\_\_\_ तारीख: \_\_\_\_\_ □□/□□/□□□□
- दिन माह वर्ष
7. बंदी/ विलय/ रूपान्तरण का कारण: \_\_\_\_\_
8. लाइसेंस समर्पित किया गया \_\_\_\_\_ □□/□□/□□□□ तारीख को
- (शाखा/कार्यालय/एनएआईओ का नाम) दिन माह वर्ष
- रिज़र्व बैंक के \_\_\_\_\_ क्षेत्रीय कार्यालय को।
9. यदि "ए/बी" श्रेणी की एडी शाखा, जो एक या अधिक "सी" श्रेणी एडी शाखा/ओं के लिए लिंक कार्यालय का काम कर रही हो, की बंदी/विलय के मामले में उक्त "सी" श्रेणी एडी शाखा/ओं के लिए लिंक कार्यालय की भूमिका निभाने वाले एडी शाखा/ओं के भाग। कूट दें:





**भारतीय रिज़र्व बैंक**  
**RESERVE BANK OF INDIA**

[www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)

iii) डाक का पूरा पता: \_\_\_\_\_

- नोट: 1) इस प्रोफॉर्मा में विभिन्न मदों के आगे कोष्ठक में दिए गए स्पष्टीकरण के लिए कृपया “प्रोफॉर्मा-I की मदों का स्पष्टीकरण” देखें।
- 2) जब तक इस प्रोफॉर्मा में दिए गए सभी 7 अंकीय एकसमान कोडों के भाग-I और भाग-II भरे नहीं जाएंगे, तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

**प्रोफॉर्मा -I & II भरने के लिए अनुदेश**

**नोट: कृपया प्रोफॉर्मा भरने से पहले अनुदेश पढ़ लें।**

- I. प्रोफॉर्मा-I शाखा/ कार्यालय/ प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालयों (एनएआईओ) के खुलने के दिन या इसके बाद भरा जाना चाहिए, लेकिन शाखा/कार्यालय/ प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालयों (एनएआईओ) के खुलने के पहले नहीं।
- II. प्रोफॉर्मा-I सभी प्रकार की नई खुलने वाली बैंक शाखाओं/ कार्यालयों/ एनएआईओ के लिए है और प्रोफॉर्मा-II वर्तमान बैंक शाखाओं/ कार्यालयों/ एनएआईओ की स्थिति/ पते में बदलाव, बंदी/ विलय/ रूपान्तरण/ स्थान परिवर्तन/ ग्रेड बढ़ाने आदि को रिपोर्ट करने के लिए है।
- III. अब तक एकसमान कूट प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र कार्यालयों/शाखाओं को ही दिए गए हैं, जो भारतीय रिज़र्व बैंक को अलग से विवरणी प्रस्तुत करते हैं (7(ख) में स्पष्टीकरण देखें)। हाल में, प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालयों, जैसे कि स्टैंड-एलोन एटीएम /विस्तार काउंटर /अनुषंगी कार्यालय /प्रतिनिधि कार्यालय/ नकदी काउंटर/ इन्स्पेक्टोरेट/ वसूली काउंटर/ मोबाइल कार्यालय/ एअरपोर्ट काउंटर/ होटल काउंटर/ एक्सचेंज ब्यूरो आदि को 9 अंकों वाली एकसमान कूट आबंटित करने का निर्णय लिया गया है। तथापि किसी मेले/प्रदर्शनी आदि में खोले गये अस्थायी कार्यालय से संबंधित प्रोफार्मा सांख्यिकीय सूचना और प्रबंध विभाग (डीएसआईएम) को न भेजें।
- IV. जिन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अपनी नयी शाखाओं/ कार्यालयों/ एनएआईओ को भाग I कूट देने की अनुमति दी गयी है; उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रोफार्मा - I भेजते समय उपर्युक्त मद III में उल्लिखित अनुदेश का कड़ाई से पालन करना होगा।



**भारतीय रिज़र्व बैंक**  
**RESERVE BANK OF INDIA**  
[www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)

- V. किसी एनएआईओ का संपूर्ण शाखा/ कार्यालय के रूप में ग्रेड बढ़ाने को उस एनएआईओ का बंद होना और शाखा/ कार्यालय का खुलना माना जाए। तदनुसार, एनएआईओ के बंद होने के लिए प्रोफार्मा - II तथा शाखा / कार्यालय के रूप में ग्रेड बढ़ाने के लिए प्रोफार्मा - I, दोनों प्रस्तुत किया जाए।
- VI. इसके उलट, यदि किसी शाखा /कार्यालय को एनएआईओ में परिवर्तित किया गया है, तो शाखा /कार्यालय के बंद होने के लिए प्रोफार्मा - II तथा एनएआईओ खोलने/ परिवर्तित करने के लिए प्रोफार्मा - I प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- VII. भाग-I और भाग - II कूट के आबंटन /भाग -II कूट में संशोधन के लिए प्रोफार्मा-I तथा II तब तक स्वीकार नहीं किए जाएंगे जब तक प्रोफार्मा की सभी मदें उचित रूप से भरी नहीं जाती हैं।

**प्रोफार्मा -I की मदों का स्पष्टीकरण**

**मद सं. 1 (ग) :**

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (एसबीआई, 19 राष्ट्रीयकृत बैंक तथा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लि.) को केवल अपनी शाखाओं/ कार्यालयों/ एनएआईओ को 7/9 अंक वाली भाग - I कूट संख्या देने की अनुमति है तथा अन्य बैंकों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (सांसूप्रवि) भाग - I तथा भाग II दोनों कूट संख्याएं आबंटित करता है। प्रत्येक एनएआईओ किसी स्वतंत्र शाखा से संबद्ध होता है। एनएआईओ के भाग-I कूट के अंतिम दो अंक (बायें से 8वां तथा 9वां अंक), आधार शाखा के 7 अंक वाले भाग - I कूट के बाद आते हैं।

बैंकों की शाखाओं /कार्यालयों की यूसीएन (एकसमान कूट नंबर) दो भागों की होती है, - 7 अंकों का भाग - I कूट तथा भाग - II कूट; जो एनएआईओ हैं उनकी भाग - I कूट संख्या को 2 अतिरिक्त अंक जोड़ दिये जाते हैं।

**भाग - I कूट निम्नानुसार परिभाषित किया जाता है :**

- वाणिज्यिक बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं की शाखाओं /कार्यालयों/ऐसे कार्यालयों, जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं (एनएआईओ) हैं, के लिए :
  - ❖ बायें से पहले तीन अंक बैंक कूट दर्शाते हैं।
  - ❖ अगले चार अंक शाखा कूट दर्शाते हैं।
  - ❖ अंतिम दो अंक एनएआईओ कूट दर्शाते हैं।
- राज्य/जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों, राज्य /केंद्रीय भूमि विकास बैंकों की शाखाओं/कार्यालयों/एनएआईओ के लिए :



**भारतीय रिज़र्व बैंक**  
**RESERVE BANK OF INDIA**  
[www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)

- ❖ बाएं से पहले चार अंक बैंक कूट दर्शाते हैं।
  - ❖ अगले तीन अंक शाखा कूट दर्शाते हैं।
  - ❖ अंतिम दो अंक एनएआईओ कूट दर्शाते हैं।
- अन्य सहकारी बैंकों, सैलरी अर्नर्स सोसाइटी, राज्य वित्तीय निगमों तथा टूरर्स, ट्रेवलर्स, वित्त तथा पट्टादायी कंपनियों की शाखाओं /कार्यालयों / ऐसे कार्यालयों जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं, के लिए :

- ❖ बाएं से पहले पांच अंक बैंक कूट दर्शाते हैं।
- ❖ अगले दो अंक शाखा कूट दर्शाते हैं।
- ❖ अंतिम दो अंक एनएआईओ कूट दर्शाते हैं।

**भाग - II कूट को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है, चाहे 'बैंकों' की श्रेणी कुछ भी क्यों न हों:**

- ❖ बाएं से पहले तीन अंक जिला कूट दर्शाते हैं।
- ❖ अगले तीन अंक जिले के भीतर केंद्र कूट दर्शाते हैं।
- ❖ अंतिम एकल अंक जनसंख्या दायरा कूट दर्शाता है।
- ❖

**जनसंख्या दायरा कूट तथा जनसंख्या समूह कूट के बीच का संबंध नीचे दर्शाया गया है :**

एकसमान कूट संख्या के भाग II का अंतिम अंक (जनसंख्या दायरा कूट)	जनसंख्या का दायरा	जनसंख्या Group	जनसंख्या Group Code
1	4999 तक	ग्रामीण	1
2	5000 से 9999		
3	10,000 से 19,999	अर्ध शहरी	2
4	20,000 से 49,999		
5	50,000 से 99,999		
6	1,00,000 से 1,99,999	शहरी	3
7	2,00,000 से 4,99,999		
8	5,00,000 से 9,99,999		
9	10 लाख और अधिक	मेट्रोपोलिटन	4

**मद सं. 2 (क):**

शाखा /कार्यालय /एनएआईओ का नाम लिखा जाए।



**भारतीय रिज़र्व बैंक**  
**RESERVE BANK OF INDIA**  
[www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)

**मद सं. 2 (ख):**

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये गए प्राधिकार /अनुमोदन पत्र की संदर्भ सं. तथा तारीख का उल्लेख किया जाए।

**मद सं. 2 (ग):**

लाइसेंस सं. यदि पहले से ही उपलब्ध है (भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त किये गये अनुसार) तो लिखनी है, अगर उपलब्ध नहीं है तो उसे एकसमान कूट नंबर के साथ बाद में संप्रेषित किया जाना चाहिए।

**मद सं. 2 (घ):**

लाइसेंस की सटीक तारीख (माह तथा वर्ष सहित) दर्शाई जानी है।

**मद सं. 2 (ङ):**

यदि शाखा /कार्यालय /एनएआईओ लाइसेंस जारी करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद खोला गया है तो कृपया दर्शाएं कि क्या लाइसेंस का पुनर्विधीकरण किया गया था अथवा नहीं, तथा यदि पुनर्विधीकरण किया गया था तो उसकी तारीख का उल्लेख करें।

**मद सं. 3:**

माह तथा वर्ष सहित, खुलने की सटीक तारीख लिखें।

**मद सं. 4.1 से 4.3 तथा 4.6 से 4.8:**

नाम/संख्याएं/कूट उचित मद संख्या के समक्ष लिखें। मद सं. 4.3 (ख) के समक्ष पिन कूट दर्शाएं। मोबाइल कार्यालय तथा मोबाइल एटीएम के संबंध में आधार शाखा/ कार्यालय का विस्तृत पता रिपोर्ट करें।

**मद सं. 4.4:**

जहां शाखा /कार्यालय /एनएआईओ स्थित है, उस इलाके का सटीक नाम बताएं। यदि शाखा/कार्यालय /एनएआईओ किसी गाँव में खोला गया है तो उस गाँव का नाम ही इलाके का नाम होगा। मोबाइल कार्यालय अथवा मोबाइल एटीएम के मामले में आधार शाखा /कार्यालय के संबंधित ब्योरे दिए जाएं।

**मद सं. 4.5 तथा 5 (ख):**

मद 5 (क) में दिये गये केंद्र के नाम के संदर्भ में तहसील /तालुका /अनुमंडल तथा सामुदायिक विकास प्रखंड के नाम क्रमशः मद सं. 4.5 तथा 5 (ख) के सामने दर्शाएं।

महानगरीय केंद्रों के मामले में यह लागू नहीं होगा।

मोबाइल कार्यालय अथवा मोबाइल एटीएम के मामले में आधार शाखा /कार्यालय के संबंधित ब्योरे दिये जाने चाहिए।



**भारतीय रिज़र्व बैंक**  
**RESERVE BANK OF INDIA**  
[www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)

**मद सं. 5 (क):**

मद सं. 4.4 में उल्लिखित इलाका जिस गांव/ शहर/ नगर/ नगरपालिका/ नगर निगम के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शामिल है उसका नाम लिखें। अगर शाखा/ कार्यालय/एनएआईओ ऐसे गांव में खोला गया है जो राजस्व इकाई/ केंद्र है, तो उस गांव का नाम लिखें। मोबाइल कार्यालय अथवा मोबाइल एटीएम के मामले में आधार शाखा/कार्यालय के संबंधित ब्योरे रिपोर्ट किये जाने चाहिए।

**सावधानी :**

यदि मद सं. 5 (क) में केंद्र का नाम सही नहीं लिखा है तो शाखा /कार्यालय / एनएआईओ का गलत भाग - II कूट के साथ गलत वर्गीकरण हो सकता है। मद सं. 4.4 तथा 5 (क) के समक्ष पंचायत/ खंड/ तहसील / जिले आदि का नाम तब तक नहीं आना चाहिए जब तक शाखा/ कार्यालय/ एनएआईओ उस पंचायत/खंड/तहसील/जिले के मुख्यालय में स्थित न हो।

**मद सं. 5 (ड): (मद सं. 5 (क) भी देखें)**

शाखा / कार्यालय /एनएआईओ जहां स्थित है उस केंद्र (राजस्व यूनिट) की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के नवीनतम आंकड़े दें। पूरी पंचायत /खंड /तहसील /जिले आदि की जनसंख्या को विचार में न लें। राजस्व केंद्र की जनसंख्या जनगणना हैण्डबुक /स्थानीय जनगणना प्राधिकरण अथवा स्थानीय प्रशासन जैसे - जिला कलेक्टर /तहसीलदार / खंड विकास अधिकारी आदि से प्राप्त की जा सकती है और इस आशय का प्रमाणपत्र (मूल रूप में) जिसमें निम्नलिखित दो पहलू शामिल हैं, संबंधित स्थानीय प्रशासन से प्राप्त कर प्रेषित किया जाए :

- (i) संदर्भाधीन शाखा /कार्यालय /एनएआईओ जहाँ स्थित है उस राजस्व केंद्र का नाम।
- (ii) नवीनतम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार उक्त राजस्व केंद्र की जनसंख्या।

**मद सं. 6:**

कोई भी कार्यालय प्रशासनिक रूप से तब स्वतंत्र है, जब वह अलग खाता बहियाँ रखता है और उसे भारतीय रिज़र्व बैंक को एक अथवा अधिक बीएसआर विवरणियां प्रस्तुत करनी पड़ती हैं।

यदि उपर्युक्त मद सं. 5 (क) में उल्लिखित केंद्र (राजस्व यूनिट) में किसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अथवा किसी अन्य वाणिज्य /सहकारी बैंक की कोई प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र शाखा /कार्यालय नहीं है जिसकी सीमा के अंदर नई शाखा /कार्यालय स्थित है तो 'नहीं' के समक्ष सही (√) का निशान लगाएं, अन्यथा 'हां' के समक्ष सही (√) का निशान लगाएं।

**मद सं. 7 (क):**

विभिन्न प्रकार (व्यावसायिक स्थिति) की शाखाओं /कार्यालयों /एनएआईओ के नाम तथा संबंधित कूट नीचे। से IV श्रेणियों में सूचीबद्ध किए गए हैं। समुचित स्थिति का नाम तथा तदनुसारी कूट लिखा जाना चाहिए।

चूंकि सूची व्यापक नहीं है, इसलिए कृपया कार्यालय /शाखा /एनएआईओ की सही स्थिति "कोई अन्य शाखा /कार्यालय /एनएआईओ" श्रेणी के अंतर्गत दें :



भारतीय रिज़र्व बैंक  
RESERVE BANK OF INDIA  
[www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)

I. प्रशासनिक कार्यालय के मामले में

कूट	स्थिति का नाम
(01)	पंजीकृत कार्यालय
(02)	केंद्रीय /मुख्य कार्यालय / प्रधान कार्यालय
(03)	स्थानीय मुख्य कार्यालय
(04)	क्षेत्रीय कार्यालय /क्षेत्र कार्यालय /अंचल कार्यालय /मंडल कार्यालय / परिमंडल कार्यालय
(05)	निधि प्रबंधन कार्यालय
(06)	अग्रणी बैंक कार्यालय
(07)	प्रशिक्षण केंद्र
(09)	कोई अन्य प्रशासनिक कार्यालय (जो ऊपर शामिल न किया गया हो, कृपया स्पष्ट करें)

II. सामान्य बैंकिंग शाखा के मामले में

कूट	स्थिति का नाम
(10)	सामान्य बैंकिंग शाखा

III. विशेषीकृत शाखा के मामले में

(क)	<u>कृषि विकास/वित्त शाखाएं</u>
(11)	कृषि विकास शाखा (एडीबी)
(12)	विशेषीकृत कृषि वित्त शाखा हाइ-टेक (एसएएफबी हाइ-टेक)
(13)	कृषि वित्त शाखा (एएफबी)
(ख)	<u>लघु उद्योग /लघु उद्योग तथा लघु कारोबार शाखाएं</u>
(16)	लघु कारोबार विकास शाखा /कार्यालय
(17)	लघु उद्योग शाखा (एसएसआइ)
(18)	लघु उद्योग तथा लघु कारोबार शाखा (एसआइबी)
(ग)	<u>औद्योगिक /कंपनी वित्त /बड़े अग्रिम शाखाएं</u>
(21)	औद्योगिक वित्त शाखा (आइएफबी)
(22)	कंपनी वित्त शाखा (सीएफबी)
(23)	किराया खरीद तथा पट्टादायी वित्त शाखा
(24)	औद्योगिक खाता शाखा
(25)	बड़े अग्रिम शाखा
(26)	कारोबार वित्त शाखा
(27)	मध्यम कंपनी (मिड कॉर्पोरेट) शाखा
घ)	<u>परिसंपत्ति वसूली प्रबंधन /औद्योगिक पुनर्व्यवस्था शाखाएं</u>



भारतीय रिज़र्व बैंक  
RESERVE BANK OF INDIA

[www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)

- (30) परिसंपत्ति वसूली प्रबंधन सेवा शाखा (एआरएमएस)  
(31) औद्योगिक पुनर्व्यवस्था शाखा
- (ड) पूँजी बाज़ार/अभिरक्षक सेवाएं / मर्चेंट/व्यापारिक (मर्कटाइल) बैंकिंग शाखाएं  
(35) पूँजी बाज़ार सेवा शाखा (सीएमएस)  
(36) अभिरक्षक सेवा शाखा  
(37) मर्चेंट बैंकिंग शाखा  
(38) मर्कटाइल बैंकिंग शाखा
- (च) विदेशी /अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग कार्यालय /शाखाएं  
(41) अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग कार्यालय /शाखाएं  
(42) विदेशी शाखा  
(43) अंतर्राष्ट्रीय कारोबार शाखा /कार्यालय /केंद्र  
(44) अंतर्राष्ट्रीय विनिमय शाखा
- (छ) वाणिज्य /व्यक्तिगत बैंकिंग शाखाएं  
(47) अनिवासी भारतीय (एनआरआई) शाखा  
(48) आवास वित्त शाखा  
(49) व्यक्तिगत बैंकिंग सेवा शाखा  
(50) उपभोक्ता वित्त शाखा  
(51) विशेषीकृत बचत शाखा  
(52) वाणिज्य तथा व्यक्तिगत बैंकिंग शाखा  
(53) विशेषीकृत वाणिज्य शाखा  
(54) ड्राफ्ट अदाकर्ता (पेइंग) शाखा  
(55) व्यावसायिक (प्रोफेशनल्स) शाखा  
(56) लॉकर शाखा  
(57) विशेषीकृत व्यापार शाखा  
(58) डायमंड शाखा  
(59) आवास वित्त व्यक्तिगत बैंकिंग शाखा
- (ज) वसूली तथा अदायगी /शीघ्र (तेज) सेवा /एसटीएआरएस /स्टार्स शाखाएं  
(63) सेवा शाखा /समाशोधन शाखा /कक्ष  
(64) वसूली तथा अदायगी सेवा शाखा  
(65) शीघ्र वसूली शाखा  
(66) तेज सेवा शाखा  
(67) शीघ्र अंतरण तथा वसूली सेवा (एसटीएआरएस) शाखा
- (झ) अन्य प्रकार की विशेषीकृत शाखाएं  
(71) राजकोष शाखा (सरकारी कारोबार)  
(72) शेयर बाज़ार (स्टॉक एक्सचेंज) शाखा  
(73) ऑटो-टेक शाखा



## भारतीय रिज़र्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

[www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)

- (74) निधि अंतरण सेवा (एफटीएस) शाखा
- (75) कमज़ोर वर्ग शाखा
- (76) सुरक्षा सेवा शाखा
- (77) विशेषीकृत महिला उद्यमी शाखा
- (78) विशेषीकृत नकदी प्रबंधन सेवा शाखा
- (79) स्व-सहायता समूहों के लिए माइक्रो सेफ शाखा
- (80) विशेषीकृत शाखा/कार्यालय की कोई अन्य श्रेणी  
(ऊपर शामिल न की गयी, कृपया स्पष्ट करें)

#### IV. ऐसे कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं (एनएआईओ) हैं के मामले में

- (85) विस्तार पटल
- (86) अनुषंगी कार्यालय
- (87) मोबाइल कार्यालय
- (88) सेवा शाखा \*
- (89) मोबाइल एटीएम
- (90) ऑन-साइट एटीएम
- (91) ऑफ -साइट एटीएम
- (92) प्रतिनिधि कार्यालय
- (93) विनिमय ब्यूरो
- (99) ऐसे कोई अन्य कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं  
\* यदि वह अलग खाता-बही नहीं रखती है

#### मद सं. 7 (ख) :

जो कार्यालय प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं, उनमें अलग खाता बहियां नहीं रखी जाती हैं और उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक को बीएसआर विवरणियां प्रस्तुत नहीं करनी पड़ती हैं। ऐसे कार्यालय उस आधार शाखा /कार्यालय का नाम तथा उसकी एकसमान कूट नंबर दें जिनके साथ उन कार्यालयों, जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं (एनएआईओ) के खाते रखे जाएंगे।

#### मद सं. 8 (ii) (क) (घ) :

नीचे सूचीबद्ध विकल्पों में से उचित कूट संख्या दर्शाएं :

कूट	क्षेत्र प्रकार
(0)	सामान्य क्षेत्र
(1)	सीमा क्षेत्र
(2)	उपद्रवग्रस्त क्षेत्र (अधिक जोखिम )



**भारतीय रिज़र्व बैंक**  
**RESERVE BANK OF INDIA**

[www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)

- (3) प्राकृतिक विपत्तियों (बाढ़ /भूकंप प्रवण क्षेत्र आदि) से प्रभावित क्षेत्र
- (4) हिमपात आदि के कारण पर्याप्त परिवहन सुविधा से रहित क्षेत्र

टिप्पणी : अधिक स्पष्टीकरण के लिए निम्नलिखित से संपर्क अथवा पत्राचार करें :

निदेशक

बैंकिंग सांख्यिकी प्रभाग

सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग

भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय

सी - 9, छठी मंज़िल, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स

बांद्रा (पूर्व)

मुंबई - 400 051

फोन नं : (022) 2657 8100 एक्स. 7360

फैक्स : (022) 2657 0847 / 2657 2319